



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026—चैत्र 10, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्रमांक EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (3) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-3-4-0010-2025-Sec-2-पांच (CT)(18) दिनांक 15 मई 2025 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 अप्रैल 2026 से, आबकारी शुल्क की दरें, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके कॉलम 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है -

सारणी

1. देशी मदिरा -

अनु. (1)	आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
	समस्त प्रकार की देशी मदिरा	रुपये 385/- प्रति प्रूफ लीटर

2. विदेशी मदिरा -

वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें EDP आधारित Ad-Valorem रखी जायेंगी। इस व्यवस्था में विदेशी मदिरा की घोषित EDP अनुसार स्लैब में EDP के निर्धारित प्रतिशत पर ड्यूटी परिगणित की जाएगी। सभी विदेशी मदिराओं पर उसके पिछले स्लैब की उच्चतम ड्यूटी + पिछले स्लैब से अंतर की EDP पर निर्धारित प्रतिशत से ड्यूटी परिगणित कर प्रभारित होगी-

2.1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट)-

(अ) विदेशी मदिरा की प्रति पेट्री में कुल मदिरा की मात्रा 6.75 प्रूफ लीटर होने की स्थिति में घोषित EDP अनुसार Ad-valorem आधारित ड्यूटी की गणना निम्नानुसार होगी-

अनु.	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (EDP)	पिछले स्लैब की अधिकतम ड्यूटी+ पिछले स्लैब से अंतर पर प्रभारित ड्यूटी %
(1)	(2)	(3)
1	रुपये 900/- तक	370%
2	रुपये 900/- से अधिक एवं 1000/- तक	360%
3	रुपये 1000/- से अधिक एवं 1100/- तक	350%
4	रुपये 1100/- से अधिक एवं 1200/- तक	340%
5	रुपये 1200/- से अधिक एवं 1500/- तक	310%
6	रुपये 1500/- से अधिक एवं 1800/- तक	280%
7	रुपये 1800/- से अधिक एवं 2400/- तक	240%
8	रुपये 2400/- से अधिक एवं 3200/- तक	200%
9	रुपये 3200/- से अधिक एवं 4500/- तक	160%
10	रुपये 4500/- से अधिक एवं 6000/- तक	120%
11	रुपये 6000/- से अधिक एवं 8000/- तक	80%
12	रुपये 8000/- से अधिक	50%

(ब) विदेशी मदिरा की प्रति पेटी में कुल मदिरा की मात्रा 6.75 प्रूफ लीटर से भिन्न होने की स्थिति में घोषित EDP से उक्तानुसार तालिका अनुसार Ad-valorem आधारित परिगणित राशि को पेटी में उपलब्ध कुल प्रूफ लीटर अनुसार 6.75 से समानुपातिक रूप से एडजस्ट (समायोजित) किया जाकर, ड्यूटी राशि की गणना की जाएगी।

उक्त तालिका अनुसार ड्यूटी की गणना के उदाहरण निम्नानुसार हैं :-	
उदाहरण-1:	850/- रुपये EDP होने की स्थिति में, स्लैब में निर्धारित 370% की दर से कुल ड्यूटी राशि रुपये 3,145/- (850x3.7) परिगणित होगी।
उदाहरण-2:	960/- रुपये EDP होने की स्थिति में, पिछले स्लैब की निर्धारित 370% की दर से ड्यूटी राशि रुपये 3,330/- (900x3.7) एवं पिछले स्लैब से अतिरिक्त राशि रुपये 60/- (960-900) पर वर्तमान स्लैब की निर्धारित ड्यूटी 360% के आधार पर अतिरिक्त 216/- रुपये (60x3.6) जोड़ा जाकर, इस प्रकार कुल ड्यूटी राशि रुपये 3,546/- परिगणित होगी।
उदाहरण-3:	2,000/- रुपये EDP होने की स्थिति में, पिछले स्लैब तक की अधिकतम ड्यूटी राशि रुपये 6,150/- (3330+360+350+340+930+840) एवं पिछले स्लैब से अतिरिक्त राशि रुपये 200/- पर वर्तमान स्लैब की निर्धारित ड्यूटी 240% के आधार पर अतिरिक्त 480/- रुपये (200x2.4) जोड़ा जाकर, इस प्रकार कुल ड्यूटी राशि रुपये 6,630/- परिगणित होगी।
उदाहरण-4:	विदेशी मदिरा की घोषित EDP रुपये 2,000/- की पेटी में कुल मदिरा की मात्रा 5.91 प्रूफ लीटर होने की स्थिति में उक्त तालिका के स्लैब अनुसार परिगणित ड्यूटी राशि (रुपये 6,630/-) को पेटी में उपलब्ध कुल प्रूफ लीटर अनुसार, 6.75 से समानुपातिक रूप ((5.91/6.75)*6630) से एडजस्ट (समायोजित) किया जाकर, ड्यूटी राशि रुपये 5804.9/- परिगणित होगी।

2.2 विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर -

अनु.	विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर	प्रभारित ड्यूटी
(1)	(2)	(3)
1	मानक सीलबंद बोतल/कैन में विक्रय की जाने वाली बीयर और ड्राफ्ट बीयर	प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (EDP) की 130 प्रतिशत
2	कैग में दी जाने वाली ड्राफ्ट बीयर	रुपये 80/- प्रति बल्क लीटर

2.3 विदेशी मदिरा (वाईन) -

अनु.	विदेशी मदिरा (वाईन)	प्रभारित ड्यूटी
(1)	(2)	(3)
1	वाईन	रुपये 600/- प्रति प्रूफ लीटर
2	मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर, जामुन एवं अन्य फलों तथा प्रदेश में उत्पादित एवं संग्रहित शहद (Honey) से मध्यप्रदेश राज्य में ही निर्मित वाईन	शून्य

2.4 विदेशी मदिरा (Low Alcoholic Beverage/रेडी टू ड्रिंक) –

अनु.	विदेशी मदिरा (Low Alcoholic Beverage/रेडी टू ड्रिंक)	प्रभारित ड्यूटी
(1)	(2)	(3)
1	10 प्रतिशत (V/V) तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low Alcoholic Beverages (रेडी टू ड्रिंक) पेय जिसकी EDP (प्रति केस अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) न्यूनतम रुपये 700/- से कम न हो।	रुपये 750/- प्रति प्रूफ लीटर

2.5 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी उक्तानुसार (सिविलियन-स) के लिए देय ड्यूटी की, रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि के लिए 45 प्रतिशत होगी।

3. भांग –

अनु.	भांग (भण्डागार से प्रदाय लेने पर)	प्रभारित ड्यूटी
(1)	(2)	(3)
1	भांग की फुटकर विक्रय की दुकानों के लिए	रुपये 200/- प्रति किलो ग्राम
2	औषधि निर्माणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के लिए	रुपये 300/- प्रति किलो ग्राम

स्पष्टीकरण – 1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिक्र्स, कार्डियल, बिटर, तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो।

स्पष्टीकरण – 2 माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर और साईडर आदि।

स्पष्टीकरण – 3 "रक्षा सेवा कार्मिकों से अभिप्रेत है, ऐसा रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और उसमें सम्मिलित है सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं।"

1. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT) (3), दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2026

No. EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (3) In exercise of the powers conferred by section 25 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), and in supersession of this Department's notification no. 3-3-4-0010-2025-Sec-2-V (CT) (18) dated 15-05-2025 the State Government, hereby, prescribes the rates of excise duty in so far as it relates to the excisable articles specified in column (2) of the table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) there of, with effect from 1st April 2026, namely -

TABLE

1. Country Liquor-

S.No.	Description of Excisable Articles	Rate of excise duty
(1)	(2)	(3)
	All types of country liquor	Rs. 385/- per proof litre

2. Foreign Liquor-

For the year 2026-27, the duty rates for foreign liquor shall be fixed on an EDP based Ad-Valorem basis. Under this system, duty shall be calculated at a prescribed percentage of the EDP, based on the declared EDP of the foreign liquor falling within specific slabs. For all foreign liquor, the duty shall be calculated and levied as the sum of the maximum duty applicable to the preceding slab plus the duty calculated at the prescribed percentage on the difference in EDP relative to that preceding slab.

2.1 Foreign Liquor (Spirit)-

(A) In the event that the total quantity of foreign liquor per case is 6.75 Proof Litres, the Ad-valorem based duty calculated in accordance with the declared EDP shall be computed as follows:

S.No.	Foreign Liquor (Spirit) When per case (EDP) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is,	Maximum duty of previous slab + Duty charged on difference from Previous slab %
(1)	(2)	(3)
1	Up to Rs 900/-	370%
2	More than Rs 900/- and up to Rs 1000/-	360%
3	More than Rs 1000/- and up to Rs 1100/-	350%
4	More than Rs 1100/- and up to Rs 1200/-	340%
5	More than Rs 1200/- and up to Rs 1500/-	310%
6	More than Rs 1500/- and up to Rs 1800/-	280%
7	More than Rs 1800/- and up to Rs 2400/-	240%
8	More than Rs 2400/- and up to Rs 3200/-	200%
9	More than Rs 3200/- and up to Rs 4500/-	160%
10	More than Rs 4500/- and up to Rs 6000/-	120%
11	More than Rs 6000/- and up to Rs 8000/-	80%
12	More than Rs 8000/-	50%

(b) In the event that the total quantity of liquor per case of foreign liquor differs from 6.75 Proof Liters, the duty amount shall be calculated by proportionally adjusting the Ad-valorem based sum computed from the declared EDP in accordance with the table mentioned in sub-paragraph (a) relative to the actual total Proof Liters contained in the case versus the standard figure of 6.75

Based on the aforementioned table, examples for the calculation of duty are as follows:

Example-1: In a scenario where the EDP is ₹850/-, the total duty amount will be calculated as ₹3,145/- (850 x 3.7), based on the rate of 370% prescribed in the applicable slab.

Example-2: In a scenario where the EDP is ₹960/-, the duty amount for the previous slab will be calculated at the prescribed rate of 370% as ₹3,330/- (900 x 3.7). Additionally, for the amount exceeding the previous slab i.e., ₹60/- (960 - 900) an extra sum of ₹216/- (60 x 3.6) will be added based on the duty rate of 360% prescribed for the current slab; thus, the total duty amount will be calculated as ₹3,546/-

Example-3: In a scenario where the EDP is ₹2,000/-, the maximum duty amount up to the previous slab is ₹6,150/- (3330 + 360 + 350 + 340 + 930 + 840). Additionally, for the amount exceeding the previous slab i.e., ₹200/- an extra sum of ₹480/- (200 x 2.4) will be added based on the duty rate of 240% prescribed for the current slab; thus, the total duty amount will be calculated as ₹6,630/-

Example-4: In a scenario where the declared EDP of foreign liquor is ₹2,000 per case, and the total quantity of liquor contained therein is 5.91 Proof Liters, the duty amount calculated in accordance with the slabs specified in the aforementioned table (₹6,630) shall be adjusted proportionally against the standard base of 6.75 Proof Liters per case calculated as $((5.91/6.75) * 6630)$; consequently, the calculated duty amount shall be ₹5,804.90

2.2 Foreign Liquor (Malt) Beer -

S.No.	Foreign Liquor (Malt) Beer	Rate of excise duty
(1)	(2)	(3)
1	Beer and Draught Beer sold in Standard sealed bottles/can.	130 percent of per case Ex-Foreign Liquor Warehouse price.
2	Draft beer served in a keg	Rs. 80/- per bulk litre

2.3 Foreign Liquor (Wine) -

S.No.	Foreign Liquor (Wine)	Rate of excise duty
(1)	(2)	(3)
1	Wines	Rs. 600/- per Proof litre
2	Wine produced in the state of Madhya Pradesh from grapes, berries and other fruits produced in the state and honey produced and collected in the state.	Zero

2.4 Foreign Liquor (Low Alcoholic Beverage/Ready to Drink) -

S.No.	Foreign Liquor (Wine)	Rate of excise duty
(1)	(2)	(3)
1	Low Alcoholic Beverages (Ready to drink), Which contains upto 10 percent (V/V) of alcohol and the price (maximum upto 9 bulk litre per case) should not be less than 700 rupees	Rs. 750/- per Proof litre

2.5 The duty payable on Indian-made foreign liquor supplied to the Defence Services shall be 30 percent of the duty applicable to civilians in the case of Rum, and 45 percent in the case of other foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.]

3. Bhang

S.No.	Bhang (On taking supplies from Warehouse)	Rate of excise duty
(1)	(2)	(3)
1	For Retail Shops of Bhang	Rs. 200/- per kilogram
2	For Drug manufacturing licensee	Rs. 300/- per kilogram

Explanation- 1 Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation- 2 Malt liquor includes Beer, Ale, Stout, Porter and Cider etc.

Explanation- 3 "Defence services personnel" shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and includes the personnel of the Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police and Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorized wholesale military canteens."

2. This notification shall be come into force from 1st April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्रमांक EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (4) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-पांच-एस.आर., दिनांक 7 जनवरी 1960 द्वारा बनाए गए नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है-

संशोधन

उक्त नियमों में, शीर्षक (ग) "सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तें" के अधीन -शर्त क्रमांक छब्बीस के खण्ड (ब)के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (स) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात :-

"खण्ड (स) 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत, 01 अप्रैल की स्थिति में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर संग्रहीत मदिरा पर, चालू वर्ष के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) प्रभावशील होगा। यदि न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में वृद्धि होती है तो ऐसे मदिरा स्कन्ध पर वैट के अंतर कीराशि की गणना की जाएगी एवं समतुल्य राशि का भुगतान लायसेंसी द्वारा आबकारी ड्यूटी के मद में किया जायेगा। इस प्रकार जमा अंतर की राशि का समायोजन न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विरुद्ध अनुमत नहीं होगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT) :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT) (4), दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2026

No. EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (4) Madhya Pradesh Excise Act, 1915In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 62 read with sub-sections (2) and (6) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby makes the following amendments to the rules made under this Department's Notification No. 14-1-SR, dated 7 January 1960:

Amendment

In the said rules, under the heading "General licence Conditions", after clause (b) of Rule 36, the following clause (c) shall be inserted, namely:

(c) After the closing of the financial year on 31 March, the Minimum Selling Price (MSP) for the current year shall come into force on 1 April for the liquor stocked at retail liquor shops. If there is any increase in the Minimum Selling Price (MSP), the differential VAT amount will be calculated, and the licensee of the retail liquor shop shall be liable to pay such equivalent amount, under the head of excise duty, and such amount shall not be adjustable against the minimum guaranteed duty.

2. This notification shall come into force with effect from 1 April 2026.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्रमांक EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (2) मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस निमित्त जारी अधिसूचना क्रमांक 3-3-04-0010-2025-Sec-2-पांच-(CT)(19) दिनांक 15 मई 2025 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अन्य देशों से आयातित मूल में बोटल बंद (BIO) विदेशी मदिरा पर नीचे यथा विनिर्दिष्ट बोटल फीस विहित करती है -

- वर्ष 2026-27 में BIO स्पिरिट मदिरा पर बोटल फीस की राशि एक्स कस्टम बांड दर (ECB) पर Ad-valorem रूप से प्रभारित होगी, जिसमें घोषित एक्स कस्टम बांड (ECB) दर अनुसार स्लैब में निर्धारित प्रतिशत पर बोटल फीस परिगणित की जाएगी। स्लैब अनुसार पिछले स्लैब की उच्चतम राशि + स्लैब की न्यूनतम राशि से एक्स कस्टम बांड की अंतर की राशि पर निर्धारित प्रतिशत से बोटल फीस परिगणित होगी।

1.1 BIO स्पिरिट मदिरा की बोटल फीस स्लैब एवं Ad-valorem दर निम्नानुसार होगी -

सारणी

क्र.	एक्स कस्टम बांड (ECB) दर	एक्स कस्टम बांड (ECB) दर अनुसार पिछले स्लैब की अधिकतम राशि + पिछले स्लैब से अंतर पर प्रभारित बोटल फीस का %
(1)	(2)	(3)
1	20,000 तक	40%
2	20,001 से 40,000 तक	30%
3	40,001 से 60,000 तक	20%
4	60,000 से अधिक	10%

1.2 BIO बीयर मदिरा पर बोटल फीस की राशि Ad-valorem आधारित एक्स कस्टम बांड दर (ECB) पर 20% की दर से प्रभारित होगी।

1.3 BIO वाइन मदिरा पर बोटल फीस की राशि Ad-valorem आधारित एक्स कस्टम बांड दर (ECB) पर 7% की दर से प्रभारित होगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT) .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक EXC-14-0001-2026-Sec-02-पांच (CT) (2), दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2026

No. EXC/14/0001/2026-Sec-2-05(CT) (2) In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's notification No. 3-3-4-0010-2025-Sec-2-V (CT) (19) dated 15-05-2025 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the bottle fee on Bottled in Origin (BIO) foreign liquor imported from other countries as specified below, namely :-

1. For the year 2026-27, the amount of the Bottle Fee on BIO Spirit liquor shall be charged Ad-valorem on the Ex-Customs Bond (ECB) rate, wherein the Bottle Fee shall be calculated at a prescribed percentage based on the slabs corresponding to the declared Ex-Customs Bond (ECB) rate. As per the slab structure, the Bottle Fee shall be calculated at the prescribed percentage on the differential amount of the Ex-Customs Bond rate specifically, the difference between the maximum value of the preceding slab and the minimum value of the current slab.

- 1.1 The Ad-valorem slab and bottle fee rate for BIO Spirit liquor shall be as follows -

TABLE

No .	Ex Custom Bond (ECB) Rate	Maximum amount of previous slab as per Ex Custom Bond (ECB) Rate % of bottle fee charged on difference from previous slab
(1)	(2)	(3)
1	Up to 20,000	40%
2	20,001 to 40,000	30%
3	40,001 to 60,000	20%
4	More than 60,000	10%

- 1.2 The amount of the bottle fee on BIO Beer shall be charged at an ad-valorem rate of 20% on the Ex-Customs Bond (ECB) value.

- 1.3 The amount of the bottle fee on BIO Wine shall be charged at an ad-valorem rate of 7% on the Ex-Customs Bond (ECB) value.

2. This notification shall be come into force from 1st April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH OGREY, Addl. Secy.